

निर्माता :
नवकार उपक्रम, अलवर

अनुदान

६२७०८

बनाम श्री. राजेश

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन
है जिस कारण न्यायालय में प्रार्थना पत्रों की सुनवाई नहीं
की जा सकती है इसलिए प्रार्थना पत्रों का पूर्वानुसार आगामी
दिनांक 28/3/21 को प्रस्तुत हो।

3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन
है जिस कारण न्यायालय में प्रार्थना पत्रों की सुनवाई नहीं
की जा सकती है इसलिए प्रार्थना पत्रों का पूर्वानुसार आगामी
दिनांक 29/4/21 को प्रस्तुत हो।

3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन
है जिस कारण न्यायालय में प्रार्थना पत्रों की सुनवाई नहीं
की जा सकती है इसलिए प्रार्थना पत्रों का पूर्वानुसार आगामी
दिनांक 12/8/21 को प्रस्तुत हो।

3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

पत्रावली आजादी आजादी हुई वल्लभ-लक्ष्मी
उपरिष्ठ पत्रावली में अज्ञान से प्रार्थना पत्रों का
लेखावली दि 10/11/21 को प्रस्तुत हो।

पत्रावली मज पेश हुकी वादी मय कोषियल
अपरिष्ठ पत्रावली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किन्ही
कारणों का निवेदन किया वादीगण का पहचान वादी
कोषियल में कि। पत्रावली का कललोकण किमा
वादीगण का वाद वादीगण के प्रार्थना पत्र पर वसूली
किया जाता है पत्रावली फौजदारी नुमांर हीकरवादी
तकनीक दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

30/3/20
19.2.19
नवकार उपक्रम
नवकार उपक्रम
30/3/20

अधीनस्थ
उपखण्ड
इमर-पत्र
कामेश्वर
रामानेवा
Anil Kumar
नारायण
रामकृष्ण

उप
पत्र